

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 5 / 02 / 2019

विषय:- श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 591,77,00,000/- (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 591,77,00,000/- (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन जिलों, यथा- समस्तीपुर, छपरा (सारण) एवं पूर्णियाँ को नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु चिन्हित किया गया है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 189.00 करोड़ के व्यय का आकलन निम्नरूपेण किया गया है-

क्रमांक	मद का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
(क)	चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का निर्माण	69.00
(ख)	छात्रावास एवं फैकल्टी के आवास का निर्माण	40.00
(ग)	मशीन	50.00
(घ)	जिला अस्पताल का उन्नयन	30.00
योग-		189.00

3- इस योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में राशि के व्यय का वहन किया जायेगा। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु केन्द्रांश की राशि रु० 113.40 करोड़ प्राप्त होगा। राज्यांश की राशि रु० 75.60 करोड़ होगी। इस योजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि रु० 402.77 करोड़ (रु० 591.77 करोड़ - रु० 189.00 करोड़) के व्यय का वहन भी राज्य सरकार को करना होगा। अर्थात् राज्य सरकार पर कुल व्यय भार रु० 478.37 करोड़ का होगा।

4- समस्तीपुर में इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल-सरायरंजन, मौजा-नरघोषी में रकबा-21 एकड़ श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति के स्वामित्व की भूमि चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा इस शर्त पर हस्तान्तरित की गई है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय होगा।

Q

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

6- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510201 अन्तर्गत योजना आय-व्ययक में 0201.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9- राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0301-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510301 अन्तर्गत योजना आय-व्ययक में 0301.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10- इस योजना हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि के व्यय का वहन राज्य स्कीम मद के अंतर्गत माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

11- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

12- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का त्रैमासिक लेखा सभी वॉउचर्स (Vouchers) सहित महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

13- योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.01.2019 की बैठक में मद संख्या-21 पर प्राप्त है।

14- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-69/2018 के पृष्ठ-25/टि0 पर प्राप्त है।

15- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-69/2018-192(11)


/स्वा0, पटना, दिनांक- 5 / 02 / 2019

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 4, 6, 17, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

